

- (iv) If there is a difference of opinion between the two banks which cannot be resolved in a period of one month, the matter should be referred to the RBI for decision;
- (v) In order to avoid an unhealthy interest rate war, reduction in the interest rates should be precluded for two years from the date of transfer unless justified in pursuance of a change in the credit policy of the Reserve Bank of India ;
- (vi) Where the customer is already having credit limits with one bank, another bank should not grant additional credit facilities without prior consent of the existing bank ;
- (vii) Where the existing bank, because of the pressure on its resources is not in a position to meet the genuine additional requirements of its customers and approaches another bank for participation in the additional credit facilities the latter should not use this opportunity for seeking a complete take over of the customer's account and should confine its commitment only to the extent indicated by the existing banker.

The above instructions are applicable to the accounts enjoying credit limit of Rs. 50 lakhs, and above, in so far as commercial banks and State/Central Cooperative Banks are concerned, and Rs. 15 lakhs and above in the case of urban cooperative banks.

(c) and (d). The instructions are within notice of all concerned. No complaints have been received so far by the Reserve Bank of these not having been followed by the Co-operative Banks.

### Cases of Foreign Exchange Leakage

6566. SHRI K. MALLANNA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether some cases of leakage of foreign exchange have come to the notice of Government during the last two years ;

(b) if so, whether any study has been made on the problem of leakage of foreign exchange ; and

(c) if so, the details in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SAWAI SINGH SISODIA) :

(a) Yes, Sir.

(b) and (c). The concerned departments of the Government remain vigilant and take appropriate action under the law whenever any such case of leakage of foreign exchange comes to their notice. The problem is also kept under constant watch by the Government for taking appropriate legislative / administrative measures as and when considered necessary.

बिहार के पटना जिले में कृषि बैंकों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें

6567. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के पटना जिले में कृषि बैंकों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोली हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त जिले में वर्ष 1982-83 के दौरान उक्त बैंकों की शाखाएँ खोलने हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उनका स्थानवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) नवम्बर, 1981 के अंत की स्थिति के अनुसार बिहार के पटना जिले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 184 कार्यालय थे। इनका बैंकवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। पटना जिले में कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य नहीं कर रहा है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने 1982-83 से 1984-85 तक के तीन वर्षों के वास्ते एक नई शाखा लाइसेंसिंग नीति तैयार की है जिसमें मार्च, 1985 तक, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, 17,000 की जनसंख्या के वास्ते, औसतन एक बैंक शाखा के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। इस उद्देश्य के अनुसरण में, बिहार के पटना जिले में ग्रामीण/अर्ध शहरी शाखाएं खोलने के लिए, बैंकों को 30 अतिरिक्त प्राधिकृतियां/लाइसेंस जारी किए जाने की संभावना है। राज्य सरकार से कहा गया कि वह जिला स्तरीय परामर्शदात्री समितियों के परामर्श से शाखाएं खोलने के वास्ते स्थानों का निर्धारण करे।

#### विवरण

नवम्बर, 1981 के अंत की स्थिति के मुताबिक बिहार के पटना जिले में कार्यरत

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यालयों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण :

| बैंक का नाम                         | कार्यालयों की संख्या |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1                                   | 2                    |
| 1. भारतीय स्टेट बैंक                | 54                   |
| 2. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर | 2                    |
| 3. स्टेट बैंक आफ पटियाला            | 1                    |
| 4. इलाहाबाद बैंक                    | 12                   |
| 5. आन्ध्र बैंक                      | 1                    |
| 6. बैंक आफ बड़ीदा                   | 4                    |
| 7. बैंक आफ इण्डिया                  | 10                   |
| 8. बैंक आफ महाराष्ट्र               | 1                    |
| 9. केनरा बैंक                       | 7                    |
| 10. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया        | 17                   |
| 11. कारपोरेशन बैंक                  | 1                    |
| 12. देना बैंक                       | 2                    |
| 13. इण्डियन बैंक                    | 3                    |
| 14. इण्डियन ओवरसीज बैंक             | 1                    |
| 15. न्यू बैंक आफ इण्डिया            | 1                    |
| 16. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स          | 1                    |
| 17. पंजाब नेशनल बैंक                | 51                   |
| 18. पंजाब एण्ड सिंध बैंक            | 2                    |
| 19. सिण्डीकेट बैंक                  | 1                    |
| 20. यूनियन बैंक आफ इण्डिया          | 3                    |
| 21. यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया        | 5                    |
| 22. यूनाइटेड कर्माशियल बैंक         | 3                    |
| 23. विजया बैंक                      | 1                    |
| जोड़                                | 184                  |

गया जिले के स्वर्णकार संघ का अभ्यावेदन

6568. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में गया जिले के स्वर्णकार (कारीगर) संघ ने प्रधान मंत्री को सम्बोधित करके एक खुला पत्र भेजा है;